रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1984/आषाढ़ 4, 1906
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1984/ASADHA 4, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 1984

सं एफ० 4(5) डब्ल्यू एण्ड एस/84.—8.50 प्रतिशत ऋण 1994 (दूसरा निर्गम) 9.50 प्रतिशत ऋण 2004 (दूसरा निर्गम) और 10.25 प्रतिशत ऋण 2012 (दूसरा निर्गम) के लिए 700 करोड़ रुपयों की कुल राशि के लिए 9 जुलाई, 1984 को बैंकिंग समय की समाप्ति तक अभिदान नकदी में या भारत सरकार के 5 1/2 प्रतिशत ऋण 1984 की प्रतिभूतियों के रूप में स्वीकार किये जायेंगे। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 9 जुलाई 1984 को छुट्टी घोषित किये जाने पर अगले कार्य दिन बैंकिंग समय की समाप्ति तक संबंधित आदाता कार्यालयों में अभिदान स्वीकार किए जायेंगे। सरकार को 700 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 770 करोड़ रुपयों से अधिक हो तो अभिदाताओं को आनुपातिक आधार पर नकदी में आंशिक आबंटन किया जाएगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आंशिक आबंटन के बाद यथाशीघ्र अधिक अभिदान की राशि लौटा दी जाएगी। इस प्रकार लौटाई गयी राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

3. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और पहली जून 1994 को सममूल्य पर प्रतिदेय 8.50 प्रतिशत ऋण 1994 (दूसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण पहली जून 1994 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(2) निर्गम मूल्य —आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 9 जुलाई 1984 से वार्षिक 8.50 प्रतिशत होगी। 9 जुलाई 1984 से 30 नवम्बर 1984 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 1 दिसम्बर 1984 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 1 जून और 1 दिसम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर लगेगा। ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

4. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 1 जून 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 9.50 प्रतिशत ऋण, 2004 (दूसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख :— ऋण 1 जून 2004 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(2) निर्गम मूल्य :—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज :—इस ऋण की ब्याज दर 9 जुलाई, 1984 से वार्षिक 9.50 प्रतिशत होगी। 9 जुलाई 1984 से 30 नवम्बर 1984 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 1 दिसम्बर 1984 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 1 जून और 1 दिसम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गए ब्याज पर नीचे दिए हुए अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा। ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

5. रु० 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 1 जून 2012 को सममूल्य पर प्रतिदेय 10.25 प्रतिशत ऋण, 2012 (दूसरा निर्गम)

(1) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 1 जून 2012 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(2) निर्गम मूल्य—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100.00 होगा।

(3) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 9 जुलाई, 1984 से वार्षिक 10.25 प्रतिशत होगी। 9 जुलाई, 1984 से 30 नवम्बर, 1984 (दोनों दिन मिलाकर) तक की अवधि का ब्याज 1 दिसम्बर 1984 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 1 जून और 1 दिसम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 9 और 10 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा। ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

परिवर्तन की शर्तें

6. 5 1/2 प्रतिशत ऋण 1984 की प्रतिभूतियां सममूल्य पर नये ऋणों में परिवर्तन के लिए स्वीकार की जायेंगी। परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 5 1/2 प्रतिशत ऋण 1984 की प्रतिभूतियों पर 30 जून 1984 सहित उस तारीख तक वार्षिक 5 1/2 प्रतिशत की दर पर ब्याज अदा किया जायेगा। इसके अलावा नयी प्रतिभूतियों जारी करते समय (8) दिन अर्थात पहली जुलाई से 8 जुलाई 1984 तक के लिए आवेदित नये ऋण की ब्याज दर अर्थात यथास्थिति 8.50 प्रतिशत, 9.50 प्रतिशत या 10.25 प्रतिशत वार्षिक के अनुसार पूर्वानुमानित ब्याज अदा किया जायेगा।

पूरक व्यवस्थाएं

7. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जायेंगे—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई (फोर्ट और भायखला) कलकत्ता, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गए स्थानों को छोड़कर भारत सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

8. ब्याज अदा करने का स्थान:—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, गोहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों तथा भारत में जम्मू और काश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप राजकोष में ब्याज अदा किया जायेगा।

9. ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गए कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जिन पर कर लागू नहीं है या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गए कर की दर से कम हों।

जिस धारक पर कर लागू नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर लागू है वह जिले के आयकर अधिकारी को आवेदन कर उनसे एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जाए।

भारत का निवासी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय छूट की सीमा से अधिक नहीं है ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित फार्म में दो प्रतियों में घोषणा-पत्र भेजने पर कर की कटौती किये बिना ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है।

10. अब जारी किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 7,000 रुपयों की सीमा तक और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-ठ के अन्य उपबंधों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त होगी।

11. अब जारी किये जाने वाले ऋणों में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य और इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गए अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी 2,65,000 रुपयों की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी।

12. प्रतिभूतियां निम्नलिखित के रूप में जारी की जाएंगी—

(1) स्टाक प्रमाण-पत्र या (2) वचनपत्र।

यदि आवेदक इनमें से किसी का उल्लेख न करें तो उन्हें वचनपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी की जाएगी।

13. ऋणों के लिए आवेदन पत्र—ऋणों के लिए आवेदन पत्र रु० 100 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिए।

14. आवेदन पत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिए जिसमें अपेक्षित प्रतिभूतियों की राशि और विवरण आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता है।

15. आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चैक या परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 5 1/2 प्रतिशत ऋण, 1984 की प्रतिभूतियों के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चैक संबंधित बैंक के नाम आहरित किये जाने चाहिए।

परिवर्तन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियां धारक द्वारा सरकार को निम्न प्रकार अंतरित की जाएं :—

(i) यदि स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो प्रमाणपत्र के पीछे अंतरण विलेख के फार्म पर किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर कर,

(ii) यदि वचनपत्रों के रूप में हों तो उन्हें निम्न प्रकार से पृष्ठांकित किया जाए

"भारत के राष्ट्रपति को अदा करें।"

16. स्वीकृत बैंकों को उनके द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से ऋण आवेदन-पत्रों पर किये गए आबंटनों पर तथा दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मुहरयुक्त ऋण आवेदन पत्रों पर किये गये आबंटनों पर प्रति रु० 100.00 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जायेगी। बैंक-वाणिज्य और सहकारी बैंक उनके अपने अभिदानों के लिए दलाली की अदायगी के पात्र नहीं होंगे। दलाली की अदायगी के लिए ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर संबंधित कार्यालयों में दावा पेश किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के आदेश से,

ए० रंगाचारी, संयुक्त सचिव

आवेदन-पत्र का फार्म

मैं/हम* .... इसके साथ रु० .... रुपये) के लिए
(पूरा/पूरे नाम)
नकदी*/चेक रु० ....(...............................रुपये) के सांकेतिक मूल्य की 5-1/2 प्रतिशत ऋण 1984 की प्रतिभूतियां प्रस्तुत करता हूं/करते हैं* और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें* नीचे उल्लिखित मूल्य वर्ग/मूल्य वर्गों में वचनपत्र/पत्रों*/स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में रु० ....के सांकेतिक मूल्य के 8.50 प्रतिशत ऋण 1994 (दूसरा निर्गम)*/9.50 प्रतिशत ऋण 2004 (दूसरा निर्गम)*/10.25 प्रतिशत ऋण 2012 (दूसरा निर्गम)* की प्रतिभूतियां जारी की जाएं :—

प्रति वचनपत्र रु० ....का(के)† ....वचनपत्र

प्रति वचनपत्र रु० ....का(के)†, ...वचनपत्र

प्रति वचनपत्र रु० ....का(के)† ....वचनपत्र

2. मैं/हम* चाहता हूं/चाहते हैं कि उसका ब्याज .... में जमा किया जाए।

विशेष टप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखे। प्रविष्टियां आदाता कार्यालय द्वारा की जाएंगी।			
	छोटे हस्ताक्षर	दिनांक	हस्ताक्षर ....
आवेदन पत्र सं०			पूरा (पूरे) नाम ....
"दलाली नहीं" मुहर			....
नकदी प्राप्त होने की तारीख			
चेक वसूल होने की तारीख			पता..............
विशेष चालू खाते में जमा करने की तारीख			....
जांच की गयी			....
नकदी आवेदनपत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया			
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया			
प्राप्ति पत्र सं०			
प्रतिभूति सं०			दिनांक.......जुलाई 1984
कार्ड सं०			
वाउचर पारित करने की तारीख			

* जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए।

† रु० 100, रु० 200, रु० 500, रु० 1000, रु० 5,000, रु० 10,000, रु० 25,000, रु० 50,000, और रु० 1,00,000 के मूल्य वर्गों में वचनपत्र जारी किये जायेंगे। जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका यहां उल्लेख करें।

टिप्पणियां : (1) परिवर्तन के लिए प्रस्तुत प्रतिभूतियां यदि वचनपत्रों के रूप में हों तो उन्हें आवेदक (कों) के हस्ताक्षरों सहित इन शब्दों के साथ पृष्ठांकित किया जाए—"भारत के राष्ट्रपति को जमा करें" और यदि वे स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में हों तो उनके पीछे दिये गये अंतरण विलेख पर आवेदक किसी साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर करें/करें।

(2) प्रत्येक ऋण अभिदान के प्रत्येक प्रकार और अपेक्षित ऋण को प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टाक प्रमाणपत्र या वचन-पत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए ।

(3) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हो तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों । साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम व्यवसाय और पते दिये जाएं ।

(4) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो विशेष आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों तो संलग्न किये जाएं :—

(i) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उसकी सत्य प्रतिलिपि ।

(ii) कंपनी/निकाय के ज्ञापन पत्र और अंतर्नियम या नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके/उनके विधिवत् सत्यापित नमूना हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों के साथ ।

(5) जो आवेदक स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए (लोक ऋण कार्यालय में उपलब्ध) आदेश फार्म भी भरना चाहिए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 1984

No. R. 4(5)/W&M/84.—Subscription for the issues of 8.50 per cent Loan, 1994 (Second issue), 9.50 per cent Loan, 2004 (Second Issue) and 10.25 per cent Loan, 2012 (Second Issue) for an aggregate amount of Rs. 700 crores will be received in the form of cash or of securities of Government of India 5½% Loan, 1984 on the 9th July 1984 upto the close of Banking hours. In the event of 9th July 1984 being declared a holiday by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the subscriptions will be received at the concerned receiving offices in that State upto the close of Banking hours on the next working day. Government reserve the right to retain subscriptions received upto 10 per cent in excess of the sum of Rs. 700 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 770 crores, partial allotment will be made to the subscribers in cash on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after partial allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 8.50 per cent Loan, 1994 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 1st June 1994.

(i) Date of Repayment—The Loan will be repaid at par on the 1st June 1994.

(ii) Issue Price—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest—The Loan will bear interest at the rate of 8.50 per cent per annum from 9th July 1984. Interest for the period from 9th July 1984 to 30th November 1984 (inclusive) will be paid on 1st December 1984 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 1st June and 1st December. The interest paid will subject to the provisions of paragraphs 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act 1961. The net amount of interest will be paid after rounding off to the nearest 5 paise.

4. 9.50 per cent. Loan, 2004 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 1st June 2004.

(i) Date of Repayment—The Loan will be repaid at par on the 1st June 2004.

(ii) Issue Price—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest—The Loan will bear interest at the rate of 9.50 per cent. per annum from 9th July 1984. Interest for the period from 9th July 1984 to 30th November 1984 (inclusive) will be paid on 1st December 1984 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 1st June and 1st December. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961. The net amount of interest will be paid after rounding off to the nearest 5 paise.

5. 10.25 per cent. Loan, 2012 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 1st June 2012.

(i) Date of Repayment—The Loan will be repaid at par on the 1st June 2012.

(ii) Issue Price—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) Interest—The Loan will bear interest at the rate of 10.25 per cent per annum from 9th July 1984. Interest for the period from 9th July 1984 to 30th November 1984 (inclusive) will be paid on 1st December 1984 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 1st June and 1st December. The interest paid will, subject to the provisions of paragraph 9 and 10 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961. The

net amount of interest will be paid after rounding off to the nearest 5 paise.

CONVERSION TERMS

6. The securities of 5½% Loan, 1984 will be accepted for conversion into the new loans at par. Interest on the securities of 5-1|2% Loan, 1984 tendered for conversion will be paid at the rate of 5½ per cent per annum upto and inclusive of the 30th June 1984. In addition, anticipatory interest will be paid according to the rate of interest of the new Loan applied for, i.e. 8.50 per cent, 9.50 per cent or 10.25 per cent per annum, as the case may be, for eight (8) days, i.e. from 1st July to 8th July 1984 at the time of issue of new securities.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

7. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum, and

(b) Branches of the State Bank of India at all the DISTRICT HEADQUARTERS in India except at (a) above.

8. Place of Payment of Interest—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum and at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim.

9. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain, on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

An individual residing in India whose total income does not exceed the exemption limit can obtain, on furnishing a declaration in the prescribed form in duplicate to the person responsible for paying the interest, the amount of interest without deduction of tax.

10. Interest on the Loans now issued together with interest on other previous Government Securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 7,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

11. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government Securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth-tax Act will also be exempt from the Wealth-tax upto Rs. 2,65,000.

12. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock Certificates; or (ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

13. Applications for the Loans.—Applications for the Loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

14. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

15. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque or securities of the 5½ per cent Loan, 1984 which are being offered for conversion. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour of the bank concerned.

The securities tendered for conversion must be transferred by the holder to the Government—

(i) In the case of Stock|Certificates, by signing the form of transfer deed on the reserve of the certificate before a witness.

(ii) in the case of Promissory Notes, by endorsing them in the manner indicated below :

'Pay to the President of India'.

16. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100.00 (Nominal) to recognised banks on allotments in respect of applications for the loans tendered by them on behalf of their clients and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp. Banks Commercial and Co-operative Banks—will not be eligible for payment of brokerage in respect of their own subscriptions.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the concerned offices within six months from the date of floatation of the loans.

By order of the President,

A. RANGACHARI, Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We*. ....

[Full Name(s) in Block Letters]

....

herewith tender *cash / Cheque for Rs. ....(Rupees ....)/

*Securities of 5-1/2 per cent. Loan, 1984 of the nominal value of Rs. ....(Rupees ....)
and request that Securities of 8.50 per cent Loan, 1994 (Second Issue) */9.50 per cent Loan, 2004 (Second Issue)*/ 10.25 per cent Loan, 2012 (Second Issue)* of the nominal value of Rs. ....may be issued to me/us* in the form of *Promissory Note(s) in the denomination(s) stated below :— / Stock Certificate.

................................Promissory Note(s) + of Rs. ....each
.... Promissory Note(s) + of Rs. ....each
.... Promissory Note(s) + of Rs. ....each

2. I/We* desire that interest be paid at ....

N.B. —The applicant should not write anything in this cage. The entries will be filled in by the Receiving Office.

	Initials	Date
Application No	....	....
N.B. Stamp	....	....
Cash Received on	....	....
Cheque Realized on	....	....
credit to Special Current Account on	....	....
Examined	....	....
Cash Applications Register posted	....	....
Brokerage Register posted	....	....
Indent No	....	....
Script	....	....
Card No	....	....
Voucher pased on	....	....

Signature(s) ....

Name(s) in full ....

(Block Letters)

....

....

Address ....

....

....

....

Dated the ....of July, 1984

*Delete what is not required.

+Promissory Notes will be issued in denomination of Rs. 100, Rs. 200, Rs. 500, Rs. 1,000, Rs. 5,000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination(s) required.

Notes :—(1) Securities tendered for conversion should be endorsed with the words 'Pay to the President of India' over the signature of the applicant/s, if they are in the form of Promissory Notes and the transfer deed on the reverse should be signed by him/them before a witness, if they are in the form of Stock Certificates.

(2) Separate applications should be made for each Loan, each form of subscription and each form of script (Stock Certificate or promissory Note) of the New Loan required.

(3) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(4) If the application is made in the name of the registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application :—

(i) Certificate of Incorporation/Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under his office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations/Bye-laws of the company/ body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person/s authorised to deal in Government securities on behalf of the company/body together with his/their duly attested specimen signature(s).

(5) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for remittance of half-yearly interest to them.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984